an>

Title: Regarding shops running in the ground floor of old Jam Mill at Lalbagh.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, मुंबई शहर एक समय वस्त्र उद्योग का केंद्र बिंदु माना जाता था। उस वस्त्र उद्योग की अनेक मिलें हमारे मुंबई शहर में हैं, जो कि आप जानती हैं। उनकी निवासी इमारतें हमारे पास हैं। उन इमारतों की तल मंजिल पर बहुत सारी दुकानें भी हैं। लालबाग जैसे तीर्थ स्थान पर जाम मिल नाम से एक मिल थी। उस जाम मिल की एक निवासी बिल्डिंग है, वहां नीचें दुकानें हैं। सन् 1984 तक ये सारी प्राइवेट मिलें थीं। सन् 1984 में जब राÂष्ट्रीयकरण हुआ तब यह मिल एनटीसी की मिल बन गयी। उसके बाद सन् 1999 तक इनसे किराया ले कर दुकानें चल रही थीं। सन् 1999 में उनके ऊपर एनटीसी ने किराया बढ़ाने की मांग की और इतना किराया बढ़ाने की मांग की कि वे भर नहीं पाए तो उन्होंने उनसे विनती की कि किराया इतना न लो, कुछ रीज़नेबल किराया हो तो हम दे देंगे और किराया लेना एनटीसी ने बंद कर दिया। उसके बाद वे कोर्ट में गए। तकनीकी मुद्दे पर हार गए, यह सही है, लेकिन 50-60 साल से वे दुकानें वहां स्थित हैं और उन सभी दुकानों को एनटीसी ने नोटिस दे कर खाली करने को कहा है। जिनके ऊपर उनका गुज़ारा हो रहा था तो सारा परिवार अभी 25 दुकानों का नÂष्ट हो जाएगा, वे कोई बड़ी दुकानें नहीं हैं। अब उसमें तकनीकी मुद्दा यह आया कि क्या इनके ऊपर पीपल्स प्रीमाइसिस एक्ट लगाया जा सकता है या महाराÂष्ट्र रेंट एक्ट लगाया जाता है। उस तकनीकी मुद्दों के ऊपर मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ, वहां जो ऊपर रहता है, उससे घर का किराया लेते हैं, नीचे का नहीं लेते हैं, बाजू में जो एनटीसी की दुकानें हैं, उनसे ढाई सौ, चार सौ रूपये किराया लेते हैं, उनको नोटिस नहीं दिया गया है, सिर्फ जाम मिल के लोगों को नोटिस दिया गया है। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि इन सारी दुकानों को सुरक्षित किया जाए। इस समस्या का निराकरण करने के लिए एक छोटी सी चर्चा आयोजित करें और जिसके ऊपर उनका गुजारा चल रहा है, वह सरकार के निर्णय से न लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।